न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 21/2021

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2021/405

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. चम्पा आत्मज रामा गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर 2. प्यारी पुत्री मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर 3. मोहनलाल आत्मज मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर 4. शान्ति पुत्री मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर 5. सोनीदेवी पत्नि मांगु गाडरी निवासी नान्दशा तहसील रायपुर		1. केशु आत्मज रामा गाडरी निवासी नान्द II तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. हरिश टेलर, प्रार्थी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक 9/2/2026

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम नान्द II पटवार हल्का नान्द II के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी संख्या 3240/2021 रकबा 0.28 है0 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रार्थी संख्या 2 की आराजी संख्या 3241/2021 रकबा 0.27 है0 अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 152 एवं आराजियात के साथ खाता संख्या 152 एवं 532 पर स्थित होकर जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 मय नक्शा ट्रेस है।

02. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में प्रार्थीगण की कृशि आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम नान्दशा से खुटिया जाने वाले की आराजी संख्या 1670 से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 1670 से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी पाली पर स्थित 16 फीट चोड़े रास्ते से होकर संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि से प्रविष्ट होकर पूर्वजो के समय से आवागमन करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र में अंकित रास्ते का सुचारू रूप से प्रार्थीगण निरन्तर उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है, जिसे विपक्षी संख्या 1 नाजायज जलील एवं परेशान करने की नियत से जेसीबी से खड्डा कर कांटे डाल कर रास्ते को बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी में काश्त लाभ लेना दुर्भर हो गया है। गांव के अन्य ओर से आने से उन खातेदारो ने रास्ता बन्द कर दिया तथा वह रास्ता दुसरे खातेदारो का था जो बन्द कर दिया।

03. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नान्दशा जागीर से खुटिया जाने वाले सरकारी रास्ते की आराजी संख्या 1670 से विपक्षी की आराजी संख्या 2024 की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

दक्षिणी पाली पर 16 फीट चौड़ा रास्ता रास्ता जिस पर विपक्षी ने जसीबी से खड्डा कर लोहे की जाली लगा दी जिसे हटाई जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3240/2021 व 3241/2021 तक पूर्वनुसार साबिक व हाल नक्शे मे डोटेट रास्ते के निशानात अनुसार विपक्षी की आराजी में स्थित पूर्वज बावजी के स्थान के पास 16 फीट चौड़ा रास्ते को राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 की आराजी 3240/2021 तक दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे व डीएलसी राशि तय कराई जाकर विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

04. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ओर से अधिवक्ता फारूख मोहम्मद मन्सूरी द्वारा अधिकार पत्र पे ा किया जो भाामिल पत्रावली किया गया।

05. विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अकंन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी चम्पालाल, पिता रामा गाडरी, मोहन पिता मांगु गाडरी, सोनीदेवी पत्नि रूपा गाडरी व प्यारी पुत्री मांगु गाडरी, शान्ति पुत्री मांगू गाडरी ने अपनी आराजी संख्या 3240/2021 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। जबकि उन्ही प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में आराजी चाह संख्या 2025 जो इनकी सामलाती चाह थी जिसका प्रार्थन पत्र प्रकरण संख्या 3/2021 बअनवान उमा गाडरी बनाम कैली गाडरी व अन्य दिनांक 02.09.2021 को निर्णय होकर खारीज किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की चाह व अन्य लगती हुई भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता कई वर्षो से मौके पर चालु है। उक्त वैकल्पिक मर्ा पूर्व मे निर्णित प्रकरण में पेश हुई मौका रिपोर्ट में दर्शित किया गया। प्रार्थीगण ने पुनः अपनी अन्य आराजी संख्या 3240/2021 में नवीन रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज योग्य है। विपक्षी की आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 भूमि में प्रार्थीगण व अन्य आये दिन जबरन रास्ता लेने हेतु मौके पर ताकत के अल पर आये दिन बाड़ आदि काट डालते है और उसकी खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाते रहे है। प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्व प्रकरण अन्तर्गत धारा 447, 427 भा.द.स. में दर्ज करवाया गया जिसमें न्यायालय आदि मूख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्व सेशन लिया गया है। और प्रकरण विचाराधीन है। प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान ने विपक्षी केशू के विरूद्व झुठा व आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस न्यायालय ने पूर्व में इन्ही प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया गया। प्रार्थीगण पुनः नया प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय से अपनी भूमि में रास्ता दिलाने की प्रार्थना की जो कतई स्वीकार योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

06. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दरतावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 199, में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/251ए/2022/132 दिनांक 01.02.2022 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

i. यह है कि आराजी संख्या 2024 जिसमें से रास्ता बना हुआ नही है फसल कपास खड़ी हुई है। उक्त आराजी की दक्षिणी मेड़ पर रास्ता चाहा गया है पर भूमि चारो ओर से थोहर की बाड़ बनी हुई है।

ii. मौके पर आराजी संख्या 2024 पर रास्ता बन्द किया गया हुआ है। जिस पर खेती की जा रही है रास्ते के कोई निशानात नही है।

iii. उक्त विवादित रास्ते के अलावा जो एक रास्ता जो कि आराजी संख्या 1201 रकबा 0.13 है0 किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जो आराजी संख्या 2058 गै.मु. आचा तक है। इससे आगे राजस्व रेकार्ड में नक्शें में बिलानाम रास्ता दर्ज नही है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है जो आराजी संख्या 2030 तक बना हुआ है अर्थात आराजी संख्या 1201 सरकारी रास्ते आराजी संख्या 2058 पर बन्द होकर खातेदारी रास्ता आराजी संख्या 2053, 2034, 2033, 2032, 2031, 2030 से होकर गुजर रहा है। उक्त आराजी के पूर्वी तरफ मेड़ के पास–पास होकर आराजी संख्या 2030 पर बन्द हो गया है इसके पश्चात् वादी के खेत तक पहुँच हेतु आराजी संख्या 3237/2029 तथा आराजी संख्या 2020 के बीच में आते है जिसकी दूरी लगभग 150 मीटर बनती है जिसमें रास्ता नही है।

iv. वर्तमान में प्रार्थीगण ने बताया कि आवागमन रास्ते के अभाव में बन्द है फसल बोने के बाद खेत पर नही आ जा सकते है।

v. उक्त आराजी संख्या 2024 की दक्षिणी मेड़ के सहारे–सहारे रास्ते का क्षेत्रफल 288 वर्गमीटर है जिससे वादी के खेत पर पहुँचा जा सकता है जिसकी डीएलसी 399088/–रूपये प्रति हैक्टयर है उक्त आराजी की किस्म पेटा तालाबी। होने से कुल 288 वर्गमीटर की राशि 11491 रूपये बनती है।

vi. राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्तो के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित व वैकल्पिक रास्ता दर्शाया गया है।

07. पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 3240/2021 व आराजी संख्या 3241/2021 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षी की आराजी संख्या 2024 पर रास्ता चाहा गया है। आराजी संख्या 1670 में ग्रेवल सड़क बनी हुई है। विपक्षी की आराजी संख्या 2024 में 16 फीट रास्ता चाहा गया है। विपक्षीगण के जवाब में रास्ते से जुड़े प्रकरण के पूर्व के निर्णय का अकंन किया गया है जबकि पूर्व का निर्णय अलग आराजी के लिए था। वर्तमान प्रकरण में रास्ता अलग आराजी के लिए चाहा गया है। पूर्व के प्रकरण में पक्षकार अलग थे तथा चाहा गया रास्ता कुएं की हद तक था। चाहे गए पूर्व में चालु रास्ते पर थोहर रोपने का प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी के जवाब में वैकल्पिक रास्ता का अंकन नही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट 2022 में चाहा गया रास्ता बंद बताया गया है तथा रास्ते पर फसल काश्त करना बताया गया है। वैकल्पिक रास्ता जिसका तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट में अंकन किया है वह काफी लम्बा रास्ता है। प्रकरण में पूर्व में पेश सीपीसी की धारा 11 का प्रार्थना पत्र पहले ही खारीज हो चुका है। पूर्व के निर्णित

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) रायपुर

प्रकरण में वर्तमान प्रकरण की आराजी के लिए रास्ता नही चाहा गया था। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता व तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट में अंकित वैकल्पिक रास्ता दोनो ही रास्ते बंद है। आराजी संख्या 2024 से रास्ता दिया जावे। यह रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः प्रार्थीगण को आराजी संख्या 2024 से 16 फीट का रास्ता दिया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

08. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व के प्रकरण में आराजी संख्या 2025 कुएं तक रास्ता चाहा गया था जो कुआं शामलाती होकर उसमें 34 खातेदार है जिसमें प्रार्थीगण स्वयं भी खातेदार है। पूर्व में आराजी संख्या 2025 के लिए चाहे गए रास्ते के प्रार्थना पत्र में भी आराजी संख्या 2024 में से रास्ता चाहा गया था जिस प्रकरण में 14 पक्षकार थे एवं उन्ही पक्षकारों में से इस प्रकरण में भी पक्षकार प्रार्थीगण के रूप में है। चाहे गये रास्ते में तहसीलदार रायपुर की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार चबुतरा एवं मूर्ति बनी हुई है। पूर्व प्रकरण में दिनांक 02.09.2021 को निर्णय पारित हुआ था जिसमें आराजी संख्या 2024 से चाहा गया रास्ता नही दिया जाकर प्रार्थना पत्र खारीज किया गया था। प्रकरण से जुड़ी आराजियात के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विवाद होने से आपराधिक प्रकरण सिविल न्यायालय में 9 लोगो के विरूद्व दर्ज है और प्रकरण विचाराधीन है। आराजी संख्या 2024 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 212 का वाद विचाराधीन होकर आराजी संख्या 2024 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी है। पूर्व प्रकरण संख्या 3/2021 के आदेश दिनांक 02.09.2021 की 6 पक्षकारों द्वारा भू प्रबन्ध एवं पदेन अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील की गई। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी चम्पा ने धारा 251ए का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें अपील करने वाले 6 पक्षकार शामिल नही है। भू प्रबन्ध एवं पदेन अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा 6 पक्षकारों द्वारा पेश की गई अपील को दिनांक 10.09.2025 को खारीज की गई एवं न्यायालय हाजा के निर्णय को यथावत रखा गया था। आराजी संख्या 2025 कुआं वर्तमान प्रकरण में जिन आराजियात के लिए रास्ता चाहा गया है उन आराजियात के पास है तथा कुएं की आराजी तक के लिए रास्ते का प्रकरण पूर्व में निर्णित हो चुका है। कुआं की आराजी संख्या 2025 में प्रार्थी चम्पा सहखातेदार है। विपक्षी केशु के पुरे परिवार की आजिविका इस खेत पर ही निर्भर है। पूर्व प्रकरण की मौका रिपोर्ट एवं वर्तमान प्रकरण की मौका रिपोर्ट में भिन्नता है। वैकल्पिक रास्ता मौके पर आराजी संख्या 2030 तक वना हुआ है। आराजी संख्या 2030 से आगे के आराजी से रास्ता मांगा जाना चाहिए था जो मात्र 150 मीटर की दूरी का ही है। प्रार्थीगण द्वारा वैकल्पिक रास्ते से आवागमन करते हुए प्रार्थीगण के खेतो में फसल काश्त की गई है। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी संख्या 2024 में किसी भी प्रकार से रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाए और प्रतिकर के रूप में नुकसान की भरपाई विपक्षी को दी जाए।

09. प्रार्थी अधिवक्ता की द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः बहस की गई जिसमें बताया कि विपक्षी अधिवक्ता की पूर्ण बहस पूर्व में निर्णित कुएं के प्रकरण पर हुई है। एक पक्षकार से प्रकरण बाधित नही हो सकता है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

गई है। आराजी संख्या 2058 से आराजी संख्या 2030 तक रास्ता व्यक्तिगत रास्ता है सार्वजनिक रास्ता नही है। आराजी संख्या 2030 से पीछे की तरफ जाने का कोई रास्ता नही है। आराजी संख्या 2030 से 2025 तक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नही है और रास्ता काफी लम्बा है। राजस्व नक्शे में डोटेट लाईन से पता चलता है कोई रास्ता पूर्व में रहा है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। वैकल्पिक रास्ता बताया गया वहां राजस्व नक्शे में कोई डोटेट लाईन नही है। प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय आवागमन आराजी संख्या 2024 से ही हो रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा होने से प्रार्थीगण कोई मौके पर नही गए है। प्रकरण में 4 अन्य प्रार्थी कुएं में खातेदार नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

10. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आव यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के प चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

iii. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

iv. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

11. न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि आराजी संख्या 3240/2021 व 3241/2021 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 भूमि में डोटेट रास्ता है। उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में आवागमन के लिए कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध नही जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते का रकबा 0.0288 है0 बनता हैं, जो खसरा संख्या 2024 में होकर गुजरता है। उक्त आराजी में डोटेट लाईन बनी हुई है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

12. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा अनुसार आराजी संख्या 2024 में प्रस्तावित रास्ता 16 फीट चौड़ाई का है जिसका कुल रकवा 0.0288 है0 है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता है। तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट की कलम संख्या 3 में अंकित वैकल्पिक रास्ता जो कि आराजी संख्या 1201 रकबा 0.13 है0 किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम गैर काविल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, वह आराजी संख्या 2058 गै.मु. आचा तक जाता है, इसके आगे राजस्व रेकार्ड में नक्शे में बिलानाम रास्ता दर्ज नही है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है, जो आराजी संख्या 2030 तक बना हुआ है। अर्थात आराजी संख्या 1201 सरकारी रास्ते आराजी संख्या 2058 पर बन्द होकर खातेदारी रास्ता आराजी संख्या 2053, 2034, 2033, 2032, 2031,

उपखण्ड अधिकारी
जिला... रायपुर

2030 से होकर गुजर रहा है। उक्त आराजी के पूर्वी तरफ मेड़ के पास–पास होकर आराजी संख्या 2030 पर बन्द हो गया है इसके पश्चात् वादी के खेत तक पहुँच हेतु आराजी संख्या 3237/2029 तथा आराजी संख्या 2020 के बीच में आते है जिसकी दूरी लगभग 150 मीटर बनती है जिसमें रास्ता नही है। इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में उल्लेखित वैकल्पिक रास्ता लघुतम दूरी का नही है तथा उक्त रास्ता मौके पर बन्द है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है तथा मात्र सुविधा जनक न होकर आत्यांतिक आवश्यकता का प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 16 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0288 है भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर –399088/–रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 22988/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है, एंव प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले भूमि देने पर भी सहमत है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा के आराजी संख्या 3240/2021 रकबा 0.28 है0, 3241/2021 रकबा 0.27 है0 भूमि में पहुंच हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2024 रकबा 1.10 है0 मे से 0.0288 है0, भूमि दक्षिणी पाली पर संलग्न नक्शानुसार 16 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु इस आधार पर अनुज्ञात की जाती है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3240/2021 रकबा 0.28 है0 मे से 0.0288 है0 भूमि पश्चिमी पाली से विपक्षी की आराजी संख्या 2024 से लगती हुई भूमि को विपक्षी की आराजी संख्या 2024 में सम्मिलित करते हुए तरमीम की जाकर प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे एवं मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 9/2/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर, जिला भीलवाड़ा